



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आषाढ़ 1946 (श०)

(सं० पटना 623) पटना, सोमवार, 15 जुलाई 2024

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

15 जुलाई 2024

अधिसूचना संख्या 02/2024-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 245, दिनांक 15 जुलाई 2024—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम- 12, 2017), की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 29 जून, 2017 जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 544, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में आगे और भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा: -

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची II में-6%,-

- (i) क्रम संख्या 121 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

"121क	4819 10,4819 20	कार्टन, बॉक्स और केस जो कि- (क) नालीदार कागज या पेपर बोर्ड; अथवा (ख) गैर-नालीदार कागज या पेपर बोर्ड, से बने हों";
-------	-----------------	---

- (ii) क्रम संख्या 180 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

"180क	7310,7323,7612,या 7615	लौह, स्टील या एल्यूमीनियम से बने दूध के केन";
-------	------------------------	---

- (iii) क्रम संख्या 183 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

"183क	7321 या 8516	सोलर कूकर";
-------	--------------	-------------

- (iv) क्रम संख्या 199 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "शावकित्र" के पश्चात, "उनके पुर्जे" शब्दों और प्रतीक को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची III में-9%,-

- (i) क्रम संख्या 153क और उससे संबंधित प्रविष्टियों स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, यथा:-

"153क	4819 (4819 10, 4819 20 को छोड़कर)	सभी वस्तुएं (कार्टन, बॉक्स और केस जो कि- क. नालीदार कागज या पेपर बोर्ड; अथवा ख. गैर-नलीदार कागज या पेपर बोर्ड से बने हों, को छोड़कर)";
-------	-----------------------------------	---

- (ii) क्रम संख्या 224 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, "लौह या स्टील से बने दूध के लिए कैन्स को छोड़कर, किसी अन्य सामग्री (सम्पीड़ित या द्रवित गैस से भिन्न) के लिए टंकी, वाल्व, ड्रम के बक्से और समरूप आधान, जिनकी धारिता 300 लीटर से अधिक नहीं है, चाहे आस्तरित या तापरोधित है या नहीं, किन्तु जिनमें यांत्रिक या तापीय उपस्कर फिट नहीं किये गए हैं" को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

- (iii) क्रम संख्या 235 के समक्ष, कॉलम (3) में, अंत में, "और उड बर्निंग स्टोव्स, आयरन या स्टील के, से भिन्न हों" शब्दों के लिए "वुड बर्निंग स्टोव्स, आयरन या स्टील के, और सोलर कूकर, से भिन्न हों" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (iv) क्रम संख्या 273 के समक्ष, शब्दों "बॉक्स आदि" के पश्चात, "एल्यूमीनियम से बने दूध के केन को छोड़कर" शब्दों और प्रतीक को अंतःस्थापित किया जाएगा;

- (v) क्रम संख्या 275क के समक्ष, शब्दों "बर्तनों" के पश्चात, "एल्यूमीनियम से बने दूध के केन" प्रतीकों और शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

- (vi) क्रम संख्या 378क के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्दों और प्रतीक "अन्य तापीय साधित्र" के पश्चात, "[सोलर कूकर को छोड़कर]" कोष्ठकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) अनुसूची VII के पश्चात, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) में, तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा:-

"बशर्ते कि विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और इसके अधीन बनाये गये नियमों, समय-समय पर यथासंशोधित, में किसी भी बात के बावजूद, 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक मात्रा वाले वस्तुओं के पैकेज (पैकेजों) में कृषि

फार्म उपज की आपूर्ति को 'प्री- पेकेज्ड और लेबल' वाक्यांश के भीतर की गई आपूर्ति के रूप में नहीं माना जायेगा।"

2 यह अधिसूचना 15 जुलाई, 2024 से लागू होगी।

[(सं०सं०बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 21/2017-(खंड-19)-02)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

15 जुलाई 2024

एस० ओ० 245, दिनांक 15 जुलाई 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-19) 02)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 15th July 2024

Notification No. 02/2024-State Tax (Rate)

S.O. 245, Date 15th July 2024—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 544, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in Schedule II – 6%, -

(i) after serial number 121 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"121A	481910, 4819 20	Cartons, boxes and cases of, – (a) corrugated paper or paper board; or (b) non-corrugated paper or paper board";
-------	-----------------	--

(ii) after serial number 180 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"180A	7310, 7323, 7612, or 7615	Milk cans made of Iron, Steel, or Aluminium";
-------	---------------------------	---

(iii) after serial number 183 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"183A	7321 or 8516	Solar cookers";
-------	--------------	-----------------

- (iv) against serial number 199, in column (3), after the word “brooders”, the words and symbol “; parts thereof” shall be inserted;

(B) in Schedule III – 9%, -

- (i) for serial number 153A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

“153A	4819 (except 4819 10, 4819 20)	All Goods (other than Cartons, boxes and cases of, – (a) corrugated paper or paper board; or (b) non-corrugated paper or paper board)”;
-------	--------------------------------	--

- (ii) against serial number 224, after the word “equipment”, the words and symbols “; other than Milk cans made of Iron, or Steel” shall be inserted;
- (iii) against serial number 235, in column (3), at the end, for the words, “and wood burning stoves of iron or steel”, the words, “ ,wood burning stoves of iron or steel, and solar cookers” shall be substituted;
- (iv) against serial number 273, after the words “boxes, etc.”, the words and symbols “;other than Milk cans made of Aluminium” shall be inserted;
- (v) against serial number 275A, after the words “Utensils”, the words and symbol “;Milk cans made of Aluminium” shall be inserted;
- (vi) against serial number 378A, in column (3), for the words and symbol “domestic purposes;”, the words, symbol and brackets “domestic purposes [other than solar cookers];” shall be substituted;

(C) after the Schedule VII, in the Explanation, in clause (ii), after the entries relating thereto, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that notwithstanding anything contained in the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder, as amended from time to time, the supply of agricultural farm produce in package(s) of commodities containing quantity of more than 25 kilogram or 25 litre shall not be considered as a supply made within the scope of expression ‘pre-packaged and labelled’.”.

2. This notification shall come into force on the 15th day of July, 2024.

[(File No. **Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-19) 02**)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 623-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>